




उत्तराखण्ड विधान सभा
की अनुपूरक कार्यसूची
सोमवार, 11 कार्तिक, शक संवत्, 1937

(दिनांक : 02 नवम्बर, 2015)

22. (1) श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
- (2) श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।
- (3) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
- (4) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।
- (5) शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
- (6) शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।
- (7) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड उपकर विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
- (8) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड उपकर विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।
- (9) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
- (10) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।
- (11) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
- (12) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।
- (13) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
- (14) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।

गैरसैंण
दिनांक : 02 नवम्बर, 2015


आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।



उत्तराखण्ड विधान सभा
की अनुपूरक कार्यसूची
सोमवार, 11 कार्तिक, शक संवत्, 1937
(दिनांक : 02 नवम्बर, 2015)

22. (1) श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।
- (2) श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।
- (3) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।
- (4) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।
- (5) शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।
- (6) शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।
- (7) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड उपकर विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।
- (8) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड उपकर विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।
- (9) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।
- (10) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।
- (11) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।
- (12) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।
- (13) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।
- (14) वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करेंगे।

गैरसैंण
दिनांक : 02 नवम्बर, 2015

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।